निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
272वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई,2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 271वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
5.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय,	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	श्री के0 मोहन,	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9.	श्री कल्याण बनर्जी,	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
10.	श्री सोम कमल,	प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
272/1	परिषद की 271वीं बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 271वीं बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
272/2	परिषद की 271वीं बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2025 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 271वीं बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2025 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। आगामी बैठक से पूर्व सभी प्रकरणों में कार्यवाही की जाय। जिन प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण नही होगी उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। **मद संख्या-268/8 -** आगामी बैठक से पूर्व जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही सहित प्रस्तुत

			किया जाये। **<u>मद संख्या-268/10 -</u>** प्रकरण समाप्त/भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर परिषद की नीति के सम्बन्ध में औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-268/12 -</u>** अनुपालन की प्रगति अत्यन्त धीमी है। एक महीने में कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-268/14 -</u>** एक महीने में कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-268/16 -</u>** समस्त कार्यवाही एक महीने में पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-268/26 -</u>** अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आर्बिटेªटर की सम्पूर्ण फीस दे दी गई है। प्रभावी पैरवी कर निस्तारण कराया जाये। मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पुनः अध्ययन कर लिया जाय तथा यदि आवश्यकता हो तो मा0 न्यायालय में आदेश के संशोधन हेतु प्रयास किया जाये। **<u>मद संख्या-268/30 -</u>** परिषद स्तर से कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। पुलिस विभाग को पत्र भेजा गया है पुनः अर्धशासकीय पत्र भेजा जाये।

			<u>मद संख्या-269/3 -</u> शासन द्वारा एक टीम गठित की गयी है। वित्त नियंत्रक शीघ्र बैठक करते हुए प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। <u>मद संख्या-269/16 -</u> वर्तमान प्रबन्धक द्वारा अभी तक शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा मांग पत्र के अनुसार आमेलन शुल्क भी जमा नही कराया गया है। आगामी बोर्ड बैठक तक यदि संस्था द्वारा उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नही की जाती है तो पूर्व में दी गई स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। <u>मद संख्या-269/17 -</u> आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। <u>मद संख्या-270/13 -</u> प्रकरण में **CBRI** रुड़की की रिपोर्ट अगस्त माह तक प्राप्त कर ली जाये। जिन **28** आवंटियों ने अभी तक धनराशि वापस नही ली है उनकी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। उप आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित रिपोर्ट को भी आगामी बैठक में रखा जाये। आर्बिटेशन कोर्ट में प्रचलित कार्यवाही में प्रभावी पैरवी कर अद्यतन स्थिति से सहित आगामी बैठक में रखा जाये।

			मद संख्या-270/17 - अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। **मद संख्या-270/26 -** कैलाश इन्क्लेव निविदा प्राप्त हो गई है कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये। **मद संख्या-271/4 -** आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। **मद संख्या-271/5 -** अद्यतन स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। **मद संख्या-271/6 -** आगामी बैठक में रखा जाये। **मद संख्या-271/7 -** समिति की रिपोर्ट प्राप्त।परीक्षण करते हुए आगामी बैठक में रखा जाये। **मद संख्या-271/8-** सम्यक नीति तैयार कर आगामी बैठक में रखा जाये। **मद संख्या-271/10-** आगामी बैठक में रखा जाये। **मद संख्या-271/13-** आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये। **मद संख्या-271/1**4- नई उपविधि के अनुसार क्या प्रस्ताव आवेदक ने दिया है। परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाये। **मद संख्या-271/1**5- अद्यतन स्थिति आगामी बैठक

			में प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-271/17</u>-** अनुपालन की स्थिति प्राप्त करें। **<u>मद संख्या-271/19</u>-** सम्यक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **<u>मद संख्या-271/20</u>-** वरिष्ठ अधिवक्ता की राय प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
272/3	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिपिकीय सेवा विनियम-1980 (यथासंशोधित) में आशिंक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/4	श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/5	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद पर प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/6	श्री बिन्दादीन, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी के स्वयं की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/7	विधि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो पद लीगल असिस्टेन्ट पूर्णतः अस्थायी रूप से तैनाती के सम्बन्ध में।	विधि	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि शासन से स्वीकृत विधि सहायक व विधि निरीक्षक के पद की विनियमावली परिषद में अभी

			बनी नहीं है। अतः आगामी बैठक में विनियमावली बनाकर प्रस्तुत किया जाये।
272/8	श्री गोबर्धन लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) की सेवायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/9	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/10	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-01 सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित करने की अनुमति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/11	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री दिनेश पाल सिंह, अवर अभियन्ता, तत्कालीन निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, गाजियाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/12	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, बाँदा के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 की नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मांग का भी आकलन कर लिया जाय।
272/13	जनपद-सहारनपुर में परिषद द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं को संचालित किये जाने हेतु एक सेवानिवृत्त कानूनगो, एक सेवानिवृत्त लेखपाल एवं एक कम्प्यूटर आपरेटर योजना में रखे जाने	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भविष्य में अन्य जगहों पर आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त लेखपाल/कानूनगो

	के सम्बन्ध में।		तथा आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
272/14	परिषद की हाथरस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 हाथरस में समाविष्ट ग्राम-माहियापुर के खसरा संख्या-400 एवं 410 को हारावाला ट्रस्ट एवं परिषद के मध्य पंजीकृत अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	अद्यतन स्थिति सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
272/15	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में 13 नग सहकारी आवास समितियों की समायोजित भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जाँचोपरान्त मा0 निदेशक मण्डल की 271वीं बैठक दिनांक 19-04-2025 के मद संख्या-271/7 पर लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त जाँच आख्या के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	समिति की रिपोर्ट प्राप्त। समयाभाव के कारण आगामी बैठक में रखा जाये।
272/16	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2, लखनऊ में समाविष्ट सेवक सहकारी आवास समिति लि0 की नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	प्रश्नगत प्रकरण में बोर्ड अवगत हुआ। असुधार शुल्क के सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय एवं नियम/शर्तो के अनुसार सम्यक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
272/17	परिषद की जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी का परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(2) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। Land Acquisition के प्रस्ताव/DPR तैयार करने में NHAI में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर 02 माह में रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
272/18	जनपद-उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03, उन्नाव की धारा-31(2) की स्वीकृति को संशोधित किये	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	जाने का प्रस्ताव स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।		
272/19	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा में स्थित खसरा संख्या-720 रकबा 2 बीघा (4610.00) वर्ग मी0 भूमि को पुष्पांजलि गार्डेनिया के पक्ष में वर्तमान भूमि दर पर आवंटन के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 270वीं बैठक के मद संख्या-31 पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्ताव प्रस्तुत है।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रकरण में निर्णय हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
272/20	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15ए में स्थित कम्युनिटी सेंटर भूखण्ड संख्या-15/सी0सी0-1 (कार्नर) क्षेत्रफल 2992.00 वर्ग मीटर को आवासीय भूखण्डों हेतु ले-आउट में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/21	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टरों में नियोजित अनिस्तारित अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु धारा-13 की प्रक्रिया के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्ड संख्या-2बी/आई.एन.एस-4 का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रुप हाउसिंग किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं कम्यूनिटी सेन्टर भूखण्ड संख्या-3/सी.सी.-1 को आवासीय भूखण्डों के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग में अनुमन्य किये जाने हेतु आपति/सुझाव आमंत्रित किये जाये तथा प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
272/22	परिषद की पठानपुरा (विवेकनगर) योजना संख्या-1, सहारनपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-ए-9 (क्षेत्रफल-378.72 वर्ग मी0) का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	में धारा-13 की प्रक्रिया के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बंध में।		
272/23	नगर निगम मुरादाबाद कार्यालय भवन हेतु परिषद की मझोला योजना सं0-4 भाग-02 मुरादाबाद के सेक्टर-9ए में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जी.एच-01 के लेआउट में संस्थागत उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
272/24	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू किये जाने संबंधी।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित इससे जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कराया जाये।
272/25	परिषद की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों (जी+3 एवं बहुमंजिला) के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना, तृतीय चरण (विस्तार) को यथावत पुनः प्रारम्भ करने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव कास्टिंग गाइडलाइन्स लागू होने अथवा जो भी पहले हो 31 मार्च 2026 तक के लिए अनुमोदित किया गया।
272/26	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित मार्च, 2016 के अन्तर्गत आवासीय सम्पत्तियों के पंजीकरण/आवंटन में भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिक व उनके आश्रित को आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	मा0 परिषद की 247वीं बैठक के मद संख्या-3 पर सम्बन्धित शासनादेश को अंगीकृत किया गया है। पुनः अनुमोदन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।
272/27	सबसिडरी इण्टेलीजेन्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार को परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-3ए में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-3ए/काम-19	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	कार्नर क्षेत्रफल-616.00 वर्ग0मी0, भूखण्ड संख्या-3ए/काम-20 क्षेत्रफल-600.00 वर्गमीटर, भूखण्ड संख्या-3ए/काम-21 क्षेत्रफल-600.00 वर्गमी0 व भूखण्ड संख्य-3ए/काम-22 क्षेत्रफल-600.00 के आवंटन के सम्बन्ध में।		
272/28	आगरा शहर में बी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत कालिन्दी विहार के दिवतीय पाकेट में परिषद द्वारा निर्मित 272 भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त भूमि स्थानीय निकाय को एवं निर्माण धनराशि शासन को वापस किये जाने विषयक प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।
272/29	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-कर्वी-02, चित्रकूट के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 की नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भूखण्डों की मांग का भी आकलन कर लिया जाये।
272/30	परिषद कार्यालय आदेश संख्या-377/प्रशा0-एक दिनांक 24.02.20212 एवं कार्यालय आदेश संख्या-1054 दिनांक 06.05.2015 के क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परिषदादेश/ शासनादेश के आलोक में वेतनमान पुनरीक्षित करते हुए सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	वित्त विभाग के शासनादेश एवं मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।
272/31	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित,

(पी0 गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष